बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्याः 11/नि०1–03/10 (अंश)...2239 पटना, दिनांक 21/9/ 2017

प्रस्तावना।– यतः संविधान की 73वीं संशोधन को ध्यान में रखते हुए और जिला परिषदों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए शिक्षकों के नियोजन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को पहले ही हस्तगत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समयक् विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर नियोजन की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना के अधीन, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के सवैतनिक प्रशिक्षण के संबंध में बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करना आवश्यक एवं समीचीन है;

इसलिए अब भारत–संविधान के अनुच्छेद–243 G सहपठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार जिला परिषद्–माध्यमिक एवं उच्चतर–माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–** (1) यह नियमावली "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **उक्त नियमावली 2006, के नियम 8 के उपनियम (v) का प्रतिस्थापन।–**

उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 का उप नियम (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(v) नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अवधारित दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशैक्षणिक संस्थान में नामांकित बी०एड० प्रशिक्षुओं को सवैतनिक अवकाश सत्रवार स्वीकृत किया जाएगा। यह सवैतनिक अवकाश बी०एड० के प्रशिक्षण सत्र 2015–17 से देय होगा। प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे, प्रशिक्षण के उपरान्त, कम से कम पाँच वर्षो तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि पूर्ण होने के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राशि उसे

सरकार के कोषागार में जमा करनी होगी। संबंधित शिक्षक को इस आशय का बॉंड देना आवश्यक होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
20.9.17
(आर०एल० चोंग्थू)
सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 11/नि०1–03/10 (अंश) 2239 पटना, दिनांक :– 21/9/17

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.9.17
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 11/नि०1–03/10 (अंश) 2239 पटना, दिनांक :– 21/9/17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

20.9.17
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

Government of Bihar

Education Department

Notification

No.-11/Ni 1-03/10 (Part).......... Patna, Dated ....

Preamble:- Whereas in the light of 73rd amendments of Constitution of India, the responsibility of work of employment of teachers has already handed over to the Panchayti Raj Institution considering the important role of District Boards. The state government, after due consideration, has decided to delegate the responsibility of employment of such candidates to the posts of Secondary/High Secondary Teachers and Librarian, who have passed the Teacher Eligibility Test. For this purpose under special planning, in respect of training with pay in the Secondary/High Secondary schools, it is necessary and expedient to make amendments in The Bihar District Board Secondary/High Secondary Teacher (Employment and Service Condition) Rules-2006 (as amended from time to time).

Now, therefore in exercise of the powers conferred under the article-243 G of the Constitution of India, read with section-146 of the Bihar Rajya Panchayati Raj Act, 2006 The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to make amendment in The Bihar District Board, Secondary/High Secondary Teacher (Employment and Service Condition) Rules, 2006 (as amended from time to time):-

1.**Short title extent and commencement:-** (1)These Rules may be called the Bihar District Board Secondary/High Secondary (Employment and Service Condition) (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) It shall extend to the whole of The State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. **Substitution of sub-Rule (v) in Rule-8 of the said Rules, 2006:-**

Sub Rule (v) of Rule-8 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following:-

"(v) It is essential for the employed un-trained teachers to obtain teachers training as per the guidelines determined by the Education Department. The trainees admitted in the training institutions determined by the Education Department shall be allowed session wise leave with pay. The leave with pay shall be allowed from the training session of 2015-2017 of B.Ed. The leave with pay during the training period shall be allowed with the condition that they will do the teaching work for the minimum period of 5 years after training. In case of leaving the service before completion of the determined period, he/she will have to deposit the amount of pay etc received in the training period in the Government

Treasury. Concerned teacher will have to furnish bond to this intent. Recoverable amout will be recoverable as public demand."

By the order of the Governor of Bihar

Sd/-

(R.L Chongthu)

Secretary

Memo -11/Ni 1-03/10 (Part)..2239 Patna, Dated ..21.19.17..

Copy forward for information and necessary action to all Department Principal Secretary /all Department Secretary/Accountant General, Bihar Patna/All Divisional Commissioner/Dirctor, Primary Education/Director Secondary Education/All District Magistrate/All Deputy Development Commissioner/All Regional Deputy Director of Education/All District Education Officer/All District Programme Officer (Office of the District Education Officer)/All Trasury Officer/Sub Treasury Officer/All Block Development Officer/All Block Education Extention Officer and all Panchayat Secretary.

20.9.17

(R.L Chongthu)

Secretary